अधिनियम 1963 की धारा 17 में प्रावधान किया गया है – धोखाधड़ी के संबंध में वाद लाने की विहित अवधि धोखे की जानकारी होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दीवानी वाद दायर किया जा सकता है।

- अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी/वादी का वाद विहित अवधि के भीतर होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पोषणीय नहीं होने के कारण एतदद्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 03.11.2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–1, कोटा

अपर जिला न्यायाधीश
क्रम–1 कोटा

3-11-25 वकुलाए करी के उपरान्त जावेद कैंसर से पीड़ित है। अतः कारण अवसर दिया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दि० 7-11-25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन ...ारी
क्रम–1, कोटा (राज.)